न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 95/2023

सीएमएस : 2023/209

गुरभागसिंह आदि बनाम दुष्यंतसिंह आदि

अन्तर्गत धारा 88—183—188—92ए—207—209 आरटीएक्ट

उपस्थिति :—

श्री राजेशकुमार बिश्नोई वकील प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 02)

श्री कृष्णलाल लदोईया अप्राथी (वादीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

—: निर्णय प्रार्थनापत्र :—

दिनांक : 03.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादी के द्वारा एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में इस आशय की घोषणा चाही गई है कि चक 23 पी.एस.ए. के वर्तमान खाता सं. 2/2 के पं.न.207/292 मु.नं. 7 के कि. नं. 21 ता 25 की 1.037 है. बारानी भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 5 ता 8 के हक व अधिपत्य की 0.139 है. पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र अनुसार 0.347 है. बारानी खातेदारी भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 5 ता 8 रोबरू रिकार्ड मिसल बन्दोबस्त व जमाबंदी संवत 2043 ता 2074 में दर्ज इन्द्राज अनुसार हकदार व खातेदार है के अनुसार घोषणा चाही गई है व दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2020 व 24.06.2020 वादीगण व प्रतिवादीगण 5 ता 8 के हक व अधिकारों के प्रति शून्य व बेअसर दस्तावेज है की घोषणा करवाना चाहता है। वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट है कि वाद मे वर्णित कृषि भूमि के संबंध में बैयनामा दिनांक 19.03.2020 व 24.06.2020 को शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि विधिकरूप से रजिस्टर्ड दस्तावेज व शून्य घोषित व निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है व राजस्व न्यायालय को रजिस्र्ड दस्तावेज के संदर्भ में शून्य घोषित करने व निरस्त करने के अधिकार नहीं है इस कारण वादी का वाद पत्र 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से हिट होता है व वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है जो काबिल निरस्ती के हैं। उक्त वाद पत्र बैयनामा घोषणा वर्णित भूमि के संदर्भ में समस्त सहखातेदारान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण वादी का वाद पत्र पक्षकारों के कुसंयोजन होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है। वादी को प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्व वाद कारण प्राप्त नहीं है इस कारण से वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर काबिल निरस्ती के है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अनवानी वाद पत्र विधि [illegible] होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के [illegible] फरमाया जावे।
2. अप्रार्थी (वादीगण) के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के [illegible] किया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश उक्त प्रार्थ[illegible] विधिक दृष्टि से लागू ही नही होता है क्योंकि वाद हाजा धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से हिट नहीं होता है। वाद पत्र हाजा मे चक 23 पी.एस. ए के

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:26:47 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

वर्तमान खाता 2/2 के पं.न. 207/292 मु.नं. 7 के कि.नं. 21 ता 25 की 1.037 है. बारानी भूमि में अपने व तरतीबी पक्षकार प्रतिवादीगण सं. 5 ता 8 के हक व अधिपत्य की 0.139 है. पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2020 व 24.06.2020 के अनुसार 0.347 है. भूमि के बरूहे किराई मिसल बन्दोबस्त व जमाबन्दी संवत 2023 ता 2074 मे दर्ज इन्द्राज अनुसार हकदार व खातेदार घोषित करने, घोषित भाग का कब्जा दिलाए जाने व वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075 ता 2078 मे इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने व दस्तावेज पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2020 व 24.06.2020 को वादीगण के अधिकारों के प्रति शून्य व प्रभावहीन दस्तावेज घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है क्योकि पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2020 व 24.06.2020 प्रारम्भतः ही शून्य दस्तावेज है। प्रारम्भतः ही शून्य दस्तावेज को निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे दस्तावेज को शून्य व प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार क्षेत्र राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 दुष्यन्तसिंह द्वज्ञरा एक कूटरचित दस्तावेज मुखत्यारनामा आम पड़यन्त्र पूर्व योजना से दिनांक 14.11.2019 को अपने पक्ष में तहरीर तकमील करवा कर तथा उस पर अंगूठा/ हस्ताक्षर किन्ही अज्ञात व्यक्तियों से करवाकर उक्त मुखत्यारनामा आम को सादुलशहर के किसी नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा लिया जबकि वादी संख्या 2 गुरदिलरजसिंह दिनांक 14.11.2019 को कनाडा में निवासरत थे वादीगण ने अपने वाद पत्र में जमीन की खातेदारी अधिकारों की घोषणा व दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है, जो केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। वादीगण के वाद पत्र के अभिवचनों के मुताबिक वाद हेतुक प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 2 ने यह स्पष्ट नही किया है कि वाद पत्र किस प्रकार से बार्ड बाई लॉ है, इसलिए इस स्तर पर उक्त प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 ने महज प्रकरण की कार्यवाही को लम्बा करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही काबिल खारीजी के है अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 2 श्याम कालड़ा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी विशेष हर्जाना सहित खारिज फरमाया जावे।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी (प्रति0 सं. 2) ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी कि चक 23 पी.एस.ए. के वर्तमान खाता सं. 2/2 के पं.न. 207/292 मु.नं. 7 के कि.नं. 21 ता 25 की 1.037 है. बारानी भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 5 ता 8 के हक व अधिपत्य की 0.139 है. पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र अनुसार 0.347 है. बारानी खातेदारी भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 5 ता 8 रोबरू रिकार्ड मिसल बन्दोबस्त व जमाबंदी संवत 2043 ता 2074 में दर्ज इन्द्राज अनुसार हकदार व खातेदार है के अनुसार घोषणा चाही गई है व दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2020 व 24.06.2020 वादीगण व प्रतिवादीगण 5 ता 8 के हक व अधिकारों के प्रति शून्य व बेअसर दस्तावेज है की घोषणा क[illegible] विक्रय विलेख पत्र प्रभावहीन व शून्य घोषित करवाने का [illegible] पेश [illegible]या हैं दोंनों दस्तावेज पंजीकृत हैं। राजस्व न्यायालय को जब तक पंजी[illegible] कायम हैं तब तक वाद पत्र की सुनवाई का अधिकार नहीं हैं। [illegible]वादी खारिज करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने [illegible] कथन किया कि वादीगण द्वारा वाद पत्र खातेदारी अधिकार[illegible] घोषणा का पेश किया गया हैं। कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को हैं व फर्जी व कूटरचित दस्तावेज मुखत्यारनामा आम बहक

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:26:47 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

दुष्यन्तसिंह दिनांक 14.11.2019, उक्त फर्जी मुखत्यारनामा आम के आधार पर पंजीबद्ध दस्तावेज विक्रय दिनांक 19.03.2020 बहक दुष्यन्तसिंह व पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 24.06.2020 बहक श्याम कालड़ा, वादीगण के हक व अधिकारों के प्रति शुरू से ही शून्य व प्रभावहीन दस्तावेज है जिन्हें वादीगण को निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नही है, बल्कि ऐसे दस्तावेज राजस्व न्यायालय द्वारा ही शून्य व प्रभावहीन घोषित किये जा सकते है अतः वादी का वाद पत्र राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हैं। अप्रार्थी /प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा हैं वाद के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। दावे का पिथ एण्ड सबस्टेंस मुख्यतः पंजीकृत दस्तावेजों के कूटरचित दस्तावेज है व विक्रय पत्र को शून्य व प्रभावहीन कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का हैं। पंजीबद्ध दस्तावेज कूटरचित है इसको साबित करने, शून्य व निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय क्षेत्र का नहीं हैं यह अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। वादी वांछित अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता हैं।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 03.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाषचन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:26:47 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner